कार्यालय जिला पंचायत, मऊ

परमिट संख्याः 534 /मानचित्र/जि0पं0/2020–21 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020

श्री रामसोच पुत्र स्व0 शिवपूजन
प्रबन्धक,
बाबा जगदेव दास शिक्षण सेवा संस्थान,
ग्राम–पकड़ी खुर्द (ओजीपुर), पोस्ट–पकड़ी बुजुर्ग, जनपद–मऊ (उ0प्र0)

अनुज्ञा–पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2020 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खसरा/गाटा संख्या 13 रकबा 0.815 हे0 स्थित ग्राम–ओजीपुर, पोस्ट–पकड़ी बुजुर्ग, विकास खण्ड–बड़राँव, तहसील–घोसी, जनपद–मऊ में बाबा जगदेव दास शिक्षण सेवा संस्थान के निर्मित भवन की कवर्ड एरिया 4068.90 वर्ग मी0 पर निर्मित भवन मानचित्र की स्वीकृति मुख्य अग्निशमन अधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 10.10.2020 द्वारा अग्निशमन प्रमाण पत्र की छायाप्रति को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष द्वारा दिनांक 10.10.2020 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मा0 अध्यक्ष की स्वीकृति दिनांक 10.10.2020 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत मऊ की भवन निर्माण उपविधि इलाहाबाद शनिवार 12 मई, 2020 भाग–3 के खण्ड–''घ'' जिला पंचायत के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है।

1. अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि, नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
2. मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृति मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख–रेख में कराना होगा।
3. प्रतिबंध यह रहेगा कि, प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
4. प्रतिबंध यह रहेगा कि, आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल/सीवरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायें।
5. प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबंधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स/लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के नियम यथावत लाग रहेगें।
6. प्रतिबंध यह रहेगा कि विद्यालय भवन निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया भवन 4068.90 वर्ग मी0 एवं ओपेन एरिया 6793.70 वर्ग मी0 से ही निर्माण कार्य प्रतिबंधित होगा।
7. प्रतिबंध यह रहेगा कि कम से कम 20 वृक्ष का वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
8. प्रतिबंध यह रहेगा कि भवन के स्ट्रक्चरल प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी/संस्था का होगा।
9. प्रतिबंध यह रहेगा कि भवन निर्माण अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंन्धित अन्य समस्त प्राविधानों (अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कराया जायेगा।
10. प्रतिबंध यह रहेगा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।
11. प्रतिबंध रहेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवाय रूप से सुनिश्चित करना होगा।

12. भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक शेषकर का भुगतान श्रम विभाग को भवन स्वामी/संस्था द्वारा करना होगा।
13. स्वीकृति मानचित्र मे इलेक्ट्रिक लाईन से उर्ध्वाकार दूरी 3.70+(0.305 मीटर) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज एवं 1.80+(0.305 मीटर) प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर क्षैतिज दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
14. राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित स्थल की दूरी मार्ग के मध्य से 67.10 मी0 पर सम्पर्क मार्ग से अथवा गलियारे से 10 मी0 होना आवश्यक है।
15. विद्यालय भवन में किसी शौचालय को गली की ओर खुला नहीं रखा जायेगा।
16. शौचालय का निर्माण फ्लस टाईप का होना चाहियें, जिसके लिये शेफ्टी टैंक, टैंक व शोक पीट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
17. भवन की कुर्सी भवन से निकट गली, सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 सेमी0 रखी जाय। दी गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की सम्पति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
18. निर्माण कार्य के स्वीकृति हेतु निर्गत अनुज्ञा के दिनांक से 05 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवेदक/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय अध्यक्ष जी द्वारा पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
19. उपरोक्त स्वीकृति मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत कि स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
20. किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत मऊ इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय मऊ होगा।
21. स्वीकृति मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप से प्रयुक्त होगा।
22. निर्माणाधीन/निर्मित स्थल पर स्वीकृति मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने पर पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
23. स्वीकृति मानचित्र के अनुसार कुल उपलब्ध भूमि 8150.00 वर्ग मी0 के सापेक्ष कुल आच्छांदित क्षेत्र 4068.90 वर्ग मी0 है। इस प्रकार स्वीकृति मानचित्र का एफ0ए0आर0 0.705 है।
24. लेबर सेस का भुगतान एवं आवश्यकतायें श्रम विभाग के नियमों के अनुसार पूर्ण करने की जिम्मेंदारी एवं सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा अन्यथा कि स्थिति में बिना कारण बतायें नक्शें की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
25. स्वीकृति मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह व नवीन परती भूमि मऊ की महायोज़ना से आच्छांदित भूमि लोक निर्माण विभाग, सिचांई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृति मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगी।
26. संलग्नकः स्वीकृति मानचित्र 03 प्रतियों में।

अभियन्ता
जिला पंचायत, मऊ

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मऊ